Ex.P-267

S-66

कथन – हरीश गोलछा

थाना	–	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध कमांक	–	09 / 2015
धारा	–	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	–	हरीश गोलछा पिता स्व. चंदनमल गोलछा
उम्र	–	50 वर्ष
पता	–	ओसवाल भवन के पास, मेन रोड़, कोण्डागांव (छ0ग0) मो0–94252–58551
व्यवसाय	–	संचालक, मेसर्स तिलोकचंद मानिकलाल, राईस मिल कोण्डागांव (छ0ग0)

––00––

मैं हरीश गोलछा पूछे जाने पर बता रहा हूं कि मैं मेसर्स तिलोकचंद मानिकलाल, राईस मिल, कोण्डागांव का संचालक हूं, आज मुझे आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो कार्यालय में मेरे मोबाईल नंबर 94252–58551 से **श्री एस.एस. भट्ट** मैनेजर नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय रायपुर से उनके मोबाईल नंबर 93036–78423 पर हुई बात का कॉल ट्रान्सकिप्शन दिखाया गया एवं टेप की हुई आवाज को सुनाया गया। ट्रांसकिप्शन पढ़ कर एवं रिकार्ड की हुई बातें सुनकर वार्तालाप के संबंध में बता रहा हूं कि :–

दिनांक 23.01.2015 के 13:08:21 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 23.01.2015 के 13:09:40 बजे का कॉल मेरे मोबाईल नंबर से मैनेजर **श्री एस0एस0 भट्ट** से उनके मोबाईल नंबर पर हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में मैंने भट्ट साहब से पूछा था कि कोण्डागांव राईस मिलर्स का माह दिसम्बर का कलेक्शन का पैसा उन्हें मिल गया है क्या? इस पर भट्ट साहब द्वारा बताया गया कि अभी उन्हें नहीं मिला है। तब मेरे द्वारा उन्हें बताया गया कि जिला प्रबंधक, कांकेर श्री अशोक सोनी के हाथों भिजवाये थे। इस पर भट्ट साहब ने बताया था कि अशोक सोनी से उन्हें कलेक्शन का पैसा मिल तो गया है पर उन्होंने यह नहीं बताया था कि कहा–कहा का पैसा है। मेरे द्वारा भट्ट साहब से यह भी निवेदन किया गया था कि कोण्डागांव में 80–90 हजार क्विंटल पुराना स्टाक डम्प है, यहां से एल.आर.टी. करवा देंगे तो जगह बन जायेंगी और नया चावल राईस मिलर्स जमा कर पायेंगे और इसके लिये अगर कुछ पैसा देना होगा तो वो भी दे देंगे। तब भट्ट साहब द्वारा कहा गया था कि ठीक है एल.आर.टी. करवा दुंगा। माह दिसम्बर का कलेक्शन लगभग 01 लाख रूपया अशोक सोनी के हाथों भिजवाये थे। भट्ट साहब राईस मिलर्स का कोई भी काम बिना पैसा लिये नहीं करते थे, इसीलिये मैंने उक्त वार्तालाप में उन्हें कहा था कि यदि कोण्डागांव से एल.आर.टी. करवा देंगे तो वो चाहेंगे तो उनको कुछ पैसा भी दे देंगे। नान के अधिकारियों द्वारा इस वर्ष चावल उत्पादन के संबंध में

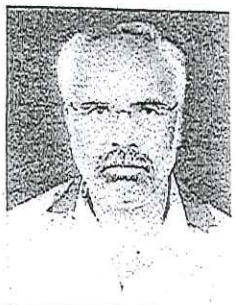

कोण्डागांव के राईस मिलर्स को 08रू. प्रति क्विंटल कलेक्शन देने के लिये कहा गया था किन्तु राईस मिलर्स ने इतना पैसे देने से मना कर दिये थे। कोण्डागांव में पुराना स्टाक अधिक जमा होने से नया चावल जमा करने में परेशानी हो रहीं थी। अतः कोण्डागांव में चावल जमा करने के लिये स्थान बनाने के लिये नान अधिकारियों द्वारा कहे जाने पर सभी राईस मिलर्स मिलाकर पैसे दिये थे। यही मेरा कथन है।

दिनांक 27.03.2015

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण
ब्यूरो, रायपुर, छत्तीसगढ